रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-215/2021/2436/22-2-2021-17(448)/2018
लखनऊ:दिनांक: 13 दिसम्बर, 2021

शुद्धि-पत्र

जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रेम सिंह (बन्दी संख्या-2015/2017) पुत्र श्री मुख्त्यार सिंह, निवासी-जनपद-कल्लरपुर गुर्जर, थाना-रामपुर मनिहारान, जनपद-सहारनपुर को कारागार से मुक्त करने विषयक कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-214/2021/2049/22-2-2021-17(448)/2018 दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 (प्रति संलग्न) की अष्टम पंक्ति में अंकित "महिला बन्दी" के स्थान पर "बन्दी" एवं बारहवीं पंक्ति में अंकित "08" के स्थान पर "08 वर्ष" तथा अठारहवीं पंक्ति में अंकित "जिला मजिस्ट्रेट, जालौन" के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर" पढ़ा जाय।

2 उक्त शासनादेश दिनांक 10-12-2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

संलग्नक-यथोक्त।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-215/2021/2436(1)/22-2-2021 तद्दिनांक---

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।
3- पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, सहारनपुर।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in